प्रश्न सं. [क्र. 383]

तारांकित प्रश्न क्रमांक - 383
माननीय विधायक - श्री हरवर सिंह जी
सदन में उत्तर देने का दिनांक - 22.9.2020

परिशिष्ट

1/2

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
ब्लॉक नं.–7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008, (म.प्र.)
CIN: U40109MP2002SGC015120 Website: www.mpez.co.in
दूरभाष: 0761–2702020, फैक्स: 0761–2661219, 2669005

प्र.सं./पू.क्षे./का.नि (मा.सं.एवं प्र.)/मा.सं./ 264 /जबलपुर दि.10.04.2015

आदेश

कम्पनी क्षेत्रान्तर्गत घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना में मृत/शारीरिक अंगहानि से पीड़ित बाहरी व्यक्तियों को म.प्र. शासन द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड छः क्रमांक 1 की कंडिका 5 (1)/6(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी –

क्र.	विवरण	राशि
1.	(पांच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान–	रू. 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार मात्र)
2.	(छः)(1) शारीरिक अंगहानि के लिये आर्थिक सहायता (अ) जहाँ (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो वहाँ दी जाने वाली अनुदान राशि	रू. 43,500.00 (त्रैतालिस हजार पॉच सौ मात्र)
	(ब) जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो वहाँ दी जाने वाली राशि	रू. 62,500.00 (बासठ हजार पॉच सौ मात्र)

बाहरी व्यक्तियों की विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि निम्नांकित स्थितियों में लागू नहीं होगी–

(क) विद्युत संयंत्र/लाईन से छेड़छाड़ अथवा विद्युत चोरी के प्रयास में घटित दुर्घटना।

(ख) मीटर के बाद परिसर की आंतरिक विद्युत लाईन से घटित दुर्घटना।

(ग) विद्युत लाईन डाले जाने के बाद उसके नीचे, विद्युत वितरण कंपनी की अनुमति के बिना निर्मित मकान अथवा संरचना में विद्युत लाईन से संपर्क आने पर घटित दुर्घटना।

(घ) लोक वाहन या उस पर अव्यस्थित व्यक्ति/वस्तु के विद्युत लाइन के संपर्क में आने पर घटित दुर्घटना, यदि प्रभावित व्यक्ति द्वारा या उसके कारण लोक वाहन में सुरक्षा निर्धारित प्रावधान का उल्लघंन ।

उपरोक्त सहायता राशि के प्रदाय हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन किया जावेगा –

(क) घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री द्वारा घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जांच की जाएगी और डॉक्टर से मृतक की शव परीक्षण रिर्पोट प्राप्त की जावेगी। मृत होना पाये जाने पर मृतक के परिवार के सदस्य/निकटतम वारिस को उक्त धनराशि अनुदान सहायता संबंधित अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकृत की जाएगी। घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना के मामले में अनुदान स्वीकृत करते समय सक्षम अधिकारी मृत्यु के संबंध में तैयार किये गये पंचनामा/प्रारूप एवं विस्तृत प्रतिवेदन, पुलिस थाने में कायम एफ.आइ.आर/मर्ग रिर्पोट/शव परीक्षण रिर्पोट के आधार पर विद्युत दुर्घटना के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकेगा।

म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

2/2

(ख) मृत व्यक्ति में बच्चा भी शामिल समझा जावेगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा।

(ग) मृत्यु के मामले में दी जाने वाली आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रभावित परिवार को प्राप्त होने वाली बीमा राशि या अन्य किसी अनुदान/सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

म.प्र.शासन द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र की उल्लेखित कंडिका में समय--समय पर किये जाने वाले संशोधन कंपनी द्वारा लागू कर दिये जायेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार

कार्यपालक निदेशक (मा.संसाएवंप्रशा.)

प्र.सं./पू.क्षे./का.नि(मा.सं.एवं प्र.)/मा.सं./264-A /जबलपुर दि.10.04.2015

प्रतिलिपि–

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
2. कार्यपालक निदेशक (कार्य/वाणिज्य/प्रवर्तन/क्रय), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
4. मुख्य महाप्रबंधक, (आर.जी.जी.व्ही.वाय--एडीबी/आर--एपीडीआरपी/फीडर पृथक्करण), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
5. मुख्य महाप्रबंधक, (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र.पा.मै.कं.लि/म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि/म.प्र.पश्चिम.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
6. मुख्य अभियंता (ज.क्षे./सा.क्षे./री.क्षे./भण्डार) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर/सागर/रीवा।
7. प्रमुख (सीएसएण्डए) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर।
8. अध्यक्ष, वि.उ.शि.नि.फो., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
9. अधीक्षण अभियंता (शहर/संचा.संधा/सिविल/प्रवर्तन) वृत्त म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.———
10. महाप्रबंधक (डी.सी.सी./एएमआर/आंतरिक सतर्कता) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
11. प्रमुख (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
12. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पा.मे.कं.लि., जबलपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, कार्या.का.नि .(मा.सं.एवं प्र.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
14. वरि. विधि अधिकारी, कार्या. का.नि .(मा.सं.एवं प्र.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
15. उप महाप्रबंधक (प्रशा./स्था.) कार्या. का.नि.(मा.सं.एवं प्र.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
16. कार्यपालन अभियंता (शहर/संचा.एवंसंधा/एस.टीसी/ एसटीएम/ सिविल/ भण्डार/ एम.टी./ कर्मशाला/एमटीआरयू/प्रवर्तन) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ....।
17. उप महाप्रबंधक (प्रशिक्षण) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर
18. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर/ छिंदवाड़ा/ रीवा/ छतरपुर/सागर/सीधी।
19. कल्याण अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/लेखाधिकारी, कार्या. का.नि .(मा.सं.एवंप्र.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
20. निज सचिव सम्बद्ध प्रबंध संचालक म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।

उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)

कार्या॰ प्रति॰

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल